उत्तर प्रदेश शासन
ऊर्जा अनुभाग-3
लखनऊ:दिनांक 13-09-2024

कार्यालय-ज्ञाप

विद्युत सुरक्षा निदेशालय के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश अभियंत्रण (विद्युत सुरक्षा निदेशालय) सेवा के सहायक निदेशक के पद पर 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने के दृष्टिगत निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित कार्मिकों को स्तम्भ-4 में उल्लिखित तिथि से सहायक निदेशक के पद पर एतद्वारा स्थायी किया जाता है:-

क्र0	सहायक निदेशक का नाम	विद्युत सुरक्षा निदेशालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि/मौलिक नियुक्ति की तिथि	स्थायीकरण की तिथि
1	2	3	4
1	श्री सौरभ कुमार सिंह	28.12.2021	28.12.2023
2	श्री हेमन्त शर्मा	07.12.2021	07.12.2023
3	श्री आलोक शुक्ला	30.12.2021	30.12.2023
4	श्री विकास कुमार शुक्ला	13-12-2021	13-12-2023
5	श्री उपेन्द्र सिंह	03-12-2021	03-12-2023
6	श्री विकास तिवारी	03-12-2021	03-12-2023
7	श्री अरुण कुमार	09-12-2021	09-12-2023
8	श्री अंकित यादव	31-12-2021	31-12-2023
9	श्री कमलेश यादव	10-12-2021	10-12-2023
10	श्री अखिलेश प्रताप सिंह	31-12-2021	31-12-2023
11	श्री आकाशदीप गंगवार	30-12-2021	30-12-2023
12	श्री अजयपाल सिंह	05-01-2022	05-01-2023
13	कु० वर्षा गुप्ता	09-12-2021	09-12-2023
14	श्री विपिन कुमार यादव	09-12-2021	09-12-2023
15	श्री नरेन्द्र यादव	28-01-2022	28-01-2023
16	कु० निधि	07-12-2021	07-12-2023
17	श्री अमित कुमार	13-12-2021	13-12-2023
18	कु० सोनाली सिंह	13-12-2021	13-12-2023
19	श्रीमती निशा	06-12-2021	06-12-2023
20	श्री पुलकित कुमार	10-12-2021	10-12-2023

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उपर्युक्त सहायक निदेशको के सेवा संबंधी शर्तों/संगत अभिलेखों के असत्य पाये जाने पर उक्तानुसार किया गया स्थायीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय/आपराधिक कार्यवाही की जायेगी।

3- उपरोक्त स्थायीकरण का सहायक निदेशको की पारस्परिक ज्येष्ठता से कोई संबंध नहीं है।

(सर्वेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, लोक सेवा आयोग प्रयागराज।
2. निदेशक, विद्युत सुरक्षा, गोमतीनगर लखनऊ।
3. सम्बन्धित सहायक निदेशकगण।
4. वैभागिक आदेशपुस्तिका।

आज्ञा से,

सर्वेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।